



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 260]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 28, 1976/श्रावण 6, 1898

No. 260]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 28, 1976/SRAVANA 6, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 28th July 1976

G.S.R. 489(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 18-Customs, dated the 12th February, 1973, namely:—

In the said notification after the word "Peru" in the two places where it occurs, the words "or Paraguay" shall be inserted.

[No. 392/F.No. 363/3/76-Cus.1]

M. JAYARAMAN, Under Secy.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1976

सांकांनि० 489(अ).--सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 18-सीमाशुल्क तारीख 12 फरवरी, 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् .—

उक्त अधिसूचना में "पेरु" शब्द, जहाँ भी वह दो स्थानों पर आया है, के पश्चात् "या पैराग्वे" शब्द जोड़े जायेंगे।

[सं० 392/का० सं० 363/3/76-सी० शु० I]

एम० जयरामन्, अवर सचिव।

CUSTOMS

CORRIGENDA

In the Department of Revenue and Banking Notification published in the Gazette of India Extraordinary Part II—3(i) dated the 7th April, 1976 as G.S.R. 288(E) appearing at page No. 1011 in English version in the 5th line after the word 'interest' insert 'so' and in the 7th line after the word 'Indian' insert 'Tariff'.

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मंत्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा निर्यन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976